



डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M.P.)
(A CENTRAL UNIVERSITY)

प्रो. जी.एल. पुण्टाम्बेकर
Prof. G.L. Puntambekar
वित्ताधिकारी/Finance Officer

वित्तीय कार्यालय, सागर (म.प्र.) - 470 003
Finance Department, Sagar, (M.P.) - 470 003
Phone : 07582-265826 - Fax : 264236, 264163

क्रं. : वित्त-लेखा/आयकर/2018-19/3939 दिनांक: 04-04-2018

// आवश्यक - सूचना //

विषय: धारा 80C के अंतर्गत बचत योजनाओं के प्रमाण पत्र की छायाप्रतियां प्रस्तुत किए जाने हेतु।

विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारी जो आयकर के दायरे में आते हैं, उनके द्वारा वित्त वर्ष 2017-18 के आयकर फार्म में आयकर बचत हेतु राहत (छूट) मांगी थी।

- (1) धारा 80C के अंतर्गत- LIC, PPF, NSC, PLI इत्यादि।
- (2) धारा 80D चिकित्सा बीमा।
- (3) धारा 80DD विकलांग मेडीकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
- (4) धारा 80E उच्च शिक्षा के लिए ऋण।
- (5) धारा 80G अनुमोदित संस्थाओं को दी गई दान राशि।
- (6) धारा 80V दृष्टिहीन।
- (7) धारा 24(U/V) गृह निर्माण हेतु ऋण।

इत्यादि में निवेश की गई राशियों के प्रमाण पत्र की छायाप्रतियां दिनांक 20.04.2018 तक वि.वि. की आयकर शाखा में मिर्जा महमूद बेग, नि.श्रे. लि. के पास जमा करें। कार्यालय द्वारा वित्त वर्ष 2017-18 के आयकर TDS Form No.-16 जारी किया जाना है।

Prof. I/C - वित्ताधिकारी
डॉ. हरीसिंह गौर वि.वि., सागर

प्रतिलिपि :

1. समस्त अधिष्ठाता/समस्त समन्वयक।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/शैक्षणिक विभाग।
3. समस्त अधिकारी/शाखा प्रभारी
4. माननीय कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक को सूचनार्थ।
5. आयकर अधिकारी वार्ड- सागर (म.प्र.)।
6. प्रभारी बेवसाइट सेल-डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त कुलसचिव (F&A)
डॉ. हरीसिंह गौर वि.वि., सागर